BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 22 जनवरी 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर मारपीट करने के 05 आरोपियों को 04-04 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1.ललित कुमार पुत्र कमल सिंह, 2.राकेश कुमार पुत्र कमल सिंह, 3.रामकुमार पुत्र श्यामलाल, 4-प्रमोद कुमार पुत्र रामवीर गडरिया, 5.लल्लू पुत्र रामवीर निवासीगण डेरीवाली गली निकट रेलवे लाइन्स मौहल्ला शान्तिनगर भूड थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2013 में एक राय होकर अपने मौहल्ला निवासी विनोद कुमार के घर में घुसकर लाठी-डंडो से मारपीट कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 23.04.2013 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-265/13 धारा 147,148,149,452,323,504,506 भादवि व 3(10) एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 19.05.2013 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 22.01.2025 को न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश शर्मा (मा0 न्यायालय स्पेशल कोर्ट/एससी एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ललित, राकेश, रामकुमार, प्रमोद, लल्लू को 04-04 वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विपुल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर।